Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding release of funds under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप बिहार में मनरेगा योजना का 50 प्रतिशत काम अब पंचायत समिति के द्वारा कराया जाएगा। पहले यह कार्य ग्राम पंचायतों के हवाले था। किन्तु अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के पास विकास का कोई काम नहीं रह गया है। क्योंकि मनरेगा का कार्य जिला परिषद के पास नहीं रहेगा। यह स्थिति 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के कारण बनी है। अत: जिला परिषद से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण में एक से दूसरे ब्लाकों को नहीं जोड़ पाएंगे, जिससे विकास कार्य बाधित होगा। मेरा अनुरोध है कि जिला परिषद के सदस्यों को मनरेगा से एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराने का अधिकार प्रदान किया जाए।

बिहार में 2 करोड़ 25 लाख 28 हजार मनरेगा मजदूर हैं। 1 करोड़ 54 लाख 33 हजार परिवारों को जॉब-कार्ड तैयार किया गया है। राज्य में सक्रिय जॉब-कार्डधारी मजदूरों की संख्या 3,88,000 है, जबकि कुल सक्रिया मजदूरों की संख्या 47 लाख 9 हजार है। मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार और काम की गारंटी है, किन्तु बिहार में 30 दिन का भी काम नहीं मिल रहा है। साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरी 163 रूपये है, जबकि सबसे ज्यादा 500 रूपये केरल में है। इसका पुन: निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि महंगाई दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है और बिहार में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

साथ ही सरकार से बिहार राज्य को मनरेगा के तहत बकाया राशि 341 करोड़ रूपये को निर्गत करने का आग्रह करता हूँ। क्योंकि पहले के कई वित्त वर्षों का भी बकाया शेष राशि निर्गत नहीं की गयी है। इसका परिणाम है कि बिहार में मनरेगा मजदूरों को पिछले तीन वर्षों से मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरों का राज्य में पलायन हो रहा है। मजदूरों के परिवार भुखमरी के कगार पर है। अत: बिहार को मनरेगा के पिछले सभी बकाया राशि को निर्गत किया जाए।